प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त अपर निदेशक (ग्रेड–1), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2– समस्त अपर निदेशक (ग्रेड–2) पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3– अपर निदेशक (ग्रेड–2) पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग लखनऊ।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
5– अध्यक्ष/संयुक्त निदेशक/रजिस्ट्रार, उ0प्र0वेटनरी काउन्सिल, बादशाहबाग, लखनऊ।
6– संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण) प्रधान कार्यालय।
7– संयुक्त निदेशक (कु0रो0नियंत्रण) प्रधान कार्यालय।
8– संयुक्त निदेशक, (नियोजन), प्रधान कार्यालय।
9– संयुक्त निदेशक (न्यूट्रीशन) आहार परीक्षण प्रयोगशाला, बादशाहबाग, लखनऊ।
10–संयुक्त निदेशक (पशु विकास) प्रधान कार्यालय।
11–संयुक्त निदेशक (थनैला रोग) प्रधान कार्यालय।
12–संयुक्त निदेशक (गोशाला) प्रधान कार्यालय।
13–संयुक्त निदेशक (इपीडी0) प्रधान कार्यालय।
14–संयुक्त निदेशक (कु0आहार) प्रधान कार्यालय।
15–संयुक्त निदेशक (पशु प्रजनन) प्रधान कार्यालय।
16–संयुक्त निदेशक (कु0रो0निदान) प्रधान कार्यालय।
17–संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) प्रधान कार्यालय।
18–संयुक्त निदेशक (मानकीकरण) प्रधान कार्यालय।
19–संयुक्त निदेशक (डास्प) प्रधान कार्यालय।
20–संयुक्त निदेशक (प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास), प्रधान कार्यालय।
21–संयुक्त निदेशक (कु0पैथा0), प्रधान कार्यालय।
22–समस्त संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, उ0प्र0।
23–समस्त संयुक्त निदेशक, तरल नत्रजन, उ0प्र0।
24–संयुक्त निदेशक, फोरेसिंक लैब, मथुरा।
25–संयुक्त निदेशक (माइको), खीरी।
26–संयुक्त निदेशक, भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा।
27–संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास, मिर्जापुर/भैसौड़ा चन्दौली।
28–समस्त संयुक्त निदेशक, वेटनरी गायनाक्लोजिस्ट/पैथालाजिस्ट, उ0प्र0।
29–संयुक्त निदेशक, पशुधन प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, प्रक्षेत्र, लखनऊ।
30–संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, निबलेट–बाराबंकी (चकगजरिया)।
31–संयुक्त निदेशक, सूकर रोग नियंत्रण, अलीगढ़।
32–उपनिदेशक (प्रक्षेत्र) महानगर, लखनऊ।
33–प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
34–उप निदेशक, (केन्द्रीय प्रयोगशाला), प्रधान कार्यालय।
35–समस्त उप निदेशक, प्रधान कार्यालय।
36–अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, इन्दिरा भवन, 10वां तल, लखनऊ।

संख्या 979 /स्था0–1/36ए(1)/प्रवि0/2019–20, दिनांक 28/2/2020

विषयः– **श्रेणी–1 व श्रेणी–2 के राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2019–20 की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 समाप्त हो रहा है, पशुपालन विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टियाँ शासनादेश संख्या–36/1/1976–कार्मिक–2, दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 में निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत अंकित की जानी है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासनादेश संख्या–619/37–1–2016–5(193)/2010 टी0सी0, दिनांक 15 मार्च 2016 के परिपेक्ष्य में अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होंने आलोच्य वर्ष में आपके अधीन तीन माह से अधिक कार्य किया है, के कार्य एवं आचरण के बारे में अपना मंतव्य निर्धारित प्रपत्र पर तथा शासन के पत्र संख्या–4786/37–1–09–4(10)/05, दिनांक 28–1–2010 के अनुक्रम में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–704/स्था0–1/36ए(1)/प्रवि/08–09, दिनांक 8–2–2010 में दिये गये निर्देशानुसार मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/संयुक्त निदेशक एवं अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मंतव्य (मूलरूप में) सहित आप प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के रूप में अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की, जिन्होंने आपके अधीन तीन माह से अधिक कार्य किया है, के कार्य एवं आचरण के बारे में अपना मंतव्य दो प्रतियों में समयान्तर्गत भेजना सुनिश्चित करें।

1– आपके अधीन राजपत्रित अधिकारियों से आलोच्य वर्ष 2019–20 में उनके द्वारा किये गये कार्यो का विवरण, (डिसकिपशन आफ वर्क) देने हेतु अवसर देकर उसे संलग्न प्रपत्रानुसार एक फुल स्केप पेज में 300 शब्दों तक विलम्बतम 15 अप्रैल, 2020 तक प्राप्त कर प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया जाय कि क्या वह अधिकारी की स्वमूल्यांकन आख्या से सहमत हैं, यदि नहीं तो क्यों? यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यविवरण अप्रैल के तीसरे सप्ताह के अन्दर तक प्रतिवेदक अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब उसकी प्रतीक्षा किये बिना प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रत्येक अधिकारी की प्रविष्टियॉ निर्धारित प्रपत्र पर अलग अलग अंकित कर शासनादेश सं0–36/1/76–कार्मिक–2, दिनांक 15.3.77 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समीक्षक अधिकारी एक ही बन्द गोपनीय लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के नाम से प्रेषित करें।

2– गोपनीय वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉ भेजते समय कृपया इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रविष्टियॉ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों (मूलरूप में) में हों और प्रपत्र में अधिकारी का पूरा नाम, गृह जनपद, जन्मतिथि, विभाग में नियुक्ति की तिथि, वर्तमान कोटिक्रम संख्या, पदनाम एवं पदस्थापना का विवरण स्पष्ट रूप में सही–सही अंकित हो।

3– यदि किसी ऐसे अधिकारी जिसका कि आपने आंशिक अवधि का कार्य देखा हो और आपके पूर्वाधिकारी द्वारा भी आख्या दी जानी हो, तो इस विषय में आप स्वयं अपने पूर्वाधिकारी से आख्या प्राप्त कर अपनी आख्या के साथ भेजने का कष्ट करें।

4– अपनी आख्या में सम्बन्धित अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में शासन द्वारा निर्धारित शब्दों में ही प्रमाण पत्र दें।

5– सामान्य रूप से अधिकांश मामलों में "कार्य संतोषजनक" सत्यनिष्ठा प्रमाणित या यह लिखना कि "सुधार की आवश्यकता है" इस प्रकार की शैली से सम्बन्धित अधिकारी के कार्य का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है, अतएव सम्बन्धित अधिकारी के किये गये कार्यो के आधार पर वास्तविक मूल्यांकन करते हुए तथ्यात्मक प्रविष्टि अंकित की जाय। किसी बिन्दु पर असहमति की दशा में प्रतिवेदक अधिकारी किन बिन्दुओं से असहमत है, उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय, ताकि पूरी प्रविष्टि का समुचित मूल्यांकन किया जा सके। समीक्षक अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा दी गयी प्रविष्टि के बारे में अपना स्पष्ट मत अंकित करें। वार्षिक प्रविष्टि के अन्त में ग्रेडिंग का निर्धारण करते समय शासनादेश संख्या–36/1/78–का–2/2013, दिनांक 21 जनवरी 2003 में अंकित शब्दों (1)उत्कृष्ट (2)अतिउत्तम (3)उत्तम/अच्छा (4)संतोषजनक (5)खराब/असंतोषजनक का प्रयोग करें, किसी अन्य शब्दों का नहीं। समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गयी "ग्रेडिंग" से असहमति की दशा में उनके स्तर से इसका पर्याप्त औचित्य भी दर्शाया जाय।

6– प्रविष्टि अंकित करते समय यह भी ध्यान रखा जाय कि प्रविष्टिकर्ता अधिकारी अपने हस्ताक्षर के पश्चात नाम एवं पदनाम (तिथि सहित) की स्पष्ट सील लगाये अथवा अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम स्पष्ट शब्दों में व दिनांक अंकित करते हुए अपने पदनाम की सील लगायें।

7– वार्षिक प्रविष्टि भेजते समय शासनादेश संख्या–36/3/76–कार्मिक–2, दिनांक 06 मई 1985 में दिये गये निर्देशों का भी ध्यान रखा जाय।

8– प्रविष्टियॉ अंकित करते समय शासनादेश संख्या–619/37–1–2016–5(193)/2010 टी0सी0, दिनांक 15 मार्च 2016 एवं पृष्ठांकन संख्या–1042/स्था0–1/प्रवि0/पृ0/2015–16, दिनांक 16–3–2016 में दिये गये निर्देशों का भी ध्यान रखा जाय।

9– प्रायः यह देखा जा रहा है कि निर्धारित प्रपत्र पर गोपनीय आख्या भेजते समय प्रविष्टिकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित का मूल्यांकन तर्कसंगत ढंग से नहीं किया जाता है जिसके कारण बाद में अनेक प्रत्यावेदन प्राप्त होते हैं और निस्तारण में कठिनाई आती है, अतः यह आवश्यक है कि अधिकारीगण द्वारा दी जाने वाली वार्षिक प्रविष्टियॉ सुसंगत हों और उसमें ऐसा अंकन न किया गया हो जो परस्पर विरोधी हो तथा जिसके कारण अनावश्यक प्रत्यावेदन प्राप्त हों।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वर्ष 2019–20 से सम्बन्धित आपकी स्वमूल्यांकन आख्या (कार्य विवरण) दो प्रतियों में तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की प्रविष्टियॉ दो प्रतियों में उनके स्वमूल्यांकन आख्या (कार्य विवरण) सहित इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में दिनांक 30.4.2020 तक प्राप्त हो जाय। सम्बन्धित अधिकारियों की स्वमूल्यांकन आख्या (कार्य विवरण) प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी द्वारा अवश्य सत्यापित होना चाहिए।

आशा है कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगे।

<u>संलग्नक–प्रविष्टि प्रपत्र।</u>

भवदीय

(डा0यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

संख्या /स्था0–1/36ए(1)/प्रवि0/2019–20, दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को प्रविष्टि प्रपत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आलोच्य वर्ष में कार्यरत रहे मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों की चरित्र पंजी प्रविष्टि इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

5– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आलोच्य वर्ष में आपके मण्डल में कार्यरत रहे पशुपालन विभाग के अपर निदेशक (ग्रेड–2) एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियां इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

6– समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियॉ निर्धारित प्रपत्र पर समीक्षक अधिकारी को प्रत्येक दशा में दिनांक 30–4–2020 तक अवश्य उपलब्ध करा दें तथा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या (कार्यविवरण) भी अपर निदेशक (ग्रेड–2) पशुपालन विभाग को तीन–तीन प्रतियों में उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजें तथा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या (कार्यविवरण) में यह स्पष्ट रूप से अंकित करें कि आपके स्तर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की प्रविष्टियॉ संबंधित समीक्षक अधिकारी को (कार्यालय पत्र संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुए) उपलब्ध करा दी गयी है तथा उसकी प्राप्ति रसीद अभिलेखों में सुरक्षित रख दी गयी है।

7– समस्त क्षेत्र प्रबन्धक/अधीक्षक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि, वित्तीय वर्ष 2019–20 (1–4–2019 से 31–3–2020) की अपनी स्वमूल्यांकन आख्या (कार्यविवरण) सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी को दो प्रतियों में दिनांक 30–4–2020 तक उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करें।

(डा0यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

उ0प्र0 पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के श्रेणी—1, श्रेणी—2 के व अन्य समकक्ष राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि प्रारूप :

1— अधिकारी का पूरा नाम :—

2— वर्तमान पद तथा पदनाम :—

3— जन्मतिथि / गृहजनपद :—

4— विभाग में नियुक्ति की तिथि :—

5— वर्तमान कोटिक्रम संख्या :—

6— धारित पद के कार्य का संक्षिप्त विवरण :—
बिन्दु—01 से 10 तक (To the point क्रमांकित करें)

स्वमूल्यांकन

7— धारित पद के कार्यो के सापेक्ष कार्य विवरण—निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का स्तर, कोई विशिष्ट उपलब्धि (विशिष्ट प्रशिक्षण, वर्कशाप, तकनीकी सेमिनार, गोष्ठियों में भाग लेने, आधुनिक आई0टी0ज्ञान एवं प्रशासन के बारे में जागरूकता का स्तरः—

2019-20

8– **प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति :–**

सम्बन्धित अधिकारी के व्यक्तित्व तथा कार्य के मूल्यांकन हेतु मुख्यतः निम्नलिखित विशिष्ट पहलुओं की पृष्ठभूमि में प्रविष्टि वर्णनात्मक शैली में लिखी जाय।

(क) लक्ष्यों के अनुरूप कार्यक्षमता का आंकलन, तकनीकी ज्ञान का मूल्यांकन, विभागीय कार्यो में निष्ठा एवं लगन का स्तर

(1) डे–बुक इन्पेक्शन में प्रमुख बीमारियों का सर्विलेन्स, निरीक्षण तथा आउट–ब्रेक पर नियंत्रण करना एवं प्रमुख बीमारियों में टीकाकरण का लक्ष्यों की पूर्ति मूल्यांकनः– (बिन्दु–I, II, III)

I

II

III

(2) कृत्रिम गर्भाधान, संतति उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं इन्सेमिनेटर/पैरावेट योजना की सफलता सुनिश्चित करने का मूल्यांकन :–(बिन्दुवार–I, II)

I

II

(3) पशुधन/भेड़/बकरी/सूकर/कुक्कुट/शशक–अश्व प्रक्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति का मूल्यांकन :–(बिन्दुवार)

(4) क्या अधिकारी वर्तमान सामान्य तकनीकी अद्यावधिक जानकारी रखते हैं:–

(ख) विभागीय कार्यो में निष्ठा का लगन का स्तर

8(या) पशुधन बीमा

(ग) यदि कोई विशिष्ट तकनीकी उपलब्धि अपने कार्य क्षेत्र में की हो तो उसका विवरण :–

2019-20

(घ) जनसम्पर्क तथा जनता से व्यवहार, आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचना प्रेषण के प्रति तत्परता तथा स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने में योगदान :–

(ड.) विकास योजना से संबंधित कार्यों में योगदान का मूल्यांकन :–

(1) स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत समूह गठन आदि का आख्यांकन

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यस्थित धनराशि पर वित्तीय अनुशासन बनाते हुए व्यय सुनिश्चित करना :–

(3) केन्द्र पुरोनिधानित एवं बाह्य सहायतित (यू0पी0डी0ए0एस0पी0) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति करना :–

(4) चारा विकास कार्यकमों तथा पशुपालन के क्षेत्र में कार्यो के स्तर पर अभ्युक्ति

(छ) श्रमशीलता एवं जागरूकता का स्तर :–

(ज) कर्तव्य निर्वहन के प्रति लगन के स्तर पर अभ्युक्ति :–

(झ) विभागीय एवं महालेखाकार के आडिट आपत्तियों का निस्तारण का मूल्यांकन :–

(य) अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का अंकन पूरा करना तथा सौंपे गये शिकायती प्रकरणों एवं अनुशासनिक प्रकरण का निस्तारण का मूल्यांकन :– (बिन्दुवार)

(र) सत्यनिष्ठा :–

(ल) श्रेणी :–

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पदस्थापना/मुहर सहित)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

(समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर)
(नाम / पदनाम / पदस्थापना स्थान एवं दिनांक सहित)

स्वीकृता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्वीकृता अधिकारी के हस्ताक्षर

2019-20

गोपनीय वार्षिक चरित्र प्रविष्टि

समूह–क एवं समूह–ख के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजी प्रविष्टि हेतु लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं गत वर्ष का तुलनात्मक विवरण तथा स्वमूल्याकंन हेतु प्रारूप

1– अधिकारी का पूरा नाम – ....

2– पदनाम व पदस्थापना का स्थान – ....

3– जन्मतिथि / गृह जनपद – ....

4– विभाग में नियुक्ति की तिथि – ....

5– वर्तमान कोटिक्रम संख्या – ....

6– प्रविष्टि की अवधि – ....

7– धारित पद के कार्य का संक्षिप्त विवरण– बिन्दु संख्या–1 से 17 तक मासिक प्रगति माह मार्च 2018–19 के अनुसार अंकित करें)

विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं का विवरण		**वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के वर्ष हेतु विवरण**			**गत वर्ष का विवरण**		
		वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक पूर्ति	पूर्ति का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक पूर्ति	पूर्ति का प्रतिशत
1– चिकित्सा कार्य	पशु चिकित्सालय पर						
	पशु सेवा केन्द्रों पर						
	कुल योग–						
2– कृत्रिम गर्भाधान	पशु चिकित्सालय पर						
	पशु सेवा केन्द्रों पर						
	विभागीय पैरावेट द्वारा						
	अन्य संस्था व अन्य श्रोत						
	कुल योग–						
3– उत्पन्न संतति	गाय						
	भैस						
	योग						
4–बधियाकरण	पशु चिकित्सालय पर बड़े पशु						
	छोटे पशु						
	पशु सेवा केन्द्रों पर बड़े पशु						
	छोटे पशु						
	कुल योग– बड़े पशु						
	छोटे पशु						

2019-20

5–टीकाकरण	एफ0एम0डी0						
	एच0एस0						
	बी0क्यू0						
	आर0डी0						
	एस0एफ0						
	एफ0पी0						
	एस0पी0						
	ब्रसेल्ला						
	ई0टी0वी0						
	ए0आर0वी0						
	पी0पी0आर0						
	अन्य टीकाकरण						
	कुल योग						
6– पशुधन बीमा	सामान्य						
	अनुसूचित जाति						
	योग						
7–चाराबीज वितरण कार्य	कुल आवटिंत चाराबीज						
	कुल वितरित चाराबीज						
	लाभार्थियों की संख्या						
	चाराबीज से कवर्ड एरिया क्षे. में						
8–उ.प्र. कुक्कट विकास नीति अन्तर्गत स्थापित इकाई							
30000 पक्षियों की इकाईयों की संख्या							
10000 पक्षियों की इकाईयों की संख्या							
10000 पक्षियों की ब्रायलर पैरेन्ट इकाई							
कुल इकाईयों का योग							
9–बैकयार्ड पोल्ट्री योजना में स्थापित इकाई की संख्या							
10–रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री योजना में स्थापित ई0 की सं.							
11–बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा शिविर की संख्या							
चिकित्सा किये गये पशुओं की संख्या							

2019-20

बधियाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं की संख्या						
टीकाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
12—ब्लाक स्तरीय पं0दी0द0उ0प0आरोग्य मेलों की सं0						
चिकित्सा किये गये पशुओं की संख्या						
शल्य चिकित्सा किये गये पशुओं की सं0						
बधियाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
टीकाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशुओं की संख्या						
कुल पंजीकृत पशुओं की संख्या						
13—वृहद गो—संरक्षण केन्द्र की संख्या						
अस्थायी पशु आश्रय स्थल की संख्या						
कांजीहाउस / पंजीकृत गोशालाओं की संख्या						
14—संरक्षित निराश्रित गोवंशों की कुल संख्या						
गोवंशों में टैगिंग किये गये पशुओं की संख्या						
गोवंशों में बधियाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
गोवंशों में टीकाकरण किये गये पशुओं की संख्या						
गोवंशों में चिकित्सा किये गये पशुओं की संख्या						
15—20वीं पशुगणना में गणनकर्ता, सुपरवाइजर, सहायक नोडल अधिकारी द्वारा किये गये कार्य						
ग्रामीण क्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या						
ग्रामीण क्षेत्र में कुल परिवारों की संख्या						
शहरी क्षेत्र में कुल वार्डो की संख्या						
शहरी क्षेत्र में कुल परिवारों की संख्या						
16— अधीनस्थ संस्थाओं में किये गये निरीक्षणों की सं0						
ग्रामों में किये गये भ्रमणों की संख्या						
17— विभागीय कार्यों के साथ—साथ अन्य सम्पादित किये गये प्रशासनिक व अन्य कार्य का दिनांक, स्थान का विवरण अंकित करते हुए पृथक से संलग्न करें।						

18– समय–समय पर विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति आख्या।						

सत्यापित / प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर–
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / प्रतिवेदक का नाम – ....

मुहर सहित

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम.....................................
पदनाम ....
पदस्थापना का स्थान ....
....